

हज़िब उत-तहरीर पर प्रतर्बिंध

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने गैरकानूनी गतविधियों रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 35 के तहत हज़िब-उत-तहरीर पर प्रतर्बिंध लगा दिया।

- यह आतंकवादी कृत्यों में संलग्न था, जसिमें भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल करना तथा उनकी गतविधियों के लिये धन एकत्रित करना शामिल था।
 - ये भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी कृत्य करने के लिये प्रेरित करने हेतु 'दावा करने वाली' सभाओं (इस्लामी प्रचार या धर्मांतरण) का आयोजन करते हैं।
 - इसका उद्देश्य जहाद और आतंकवादी गतविधियों के माध्यम से भारत समेत विश्व भर में इस्लामिकि राज्य और खलिफत स्थापित करना है।
- UAPA, 1967 की धारा 35 सरकार को किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने का अधिकार देती है यदि वह आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतविधियों में संलग्न है।
- हज़िब-उत-तहरीर वर्ष 1953 में यरुशलम में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है।
 - इसका मुख्यालय लेबनान में स्थित है, यह यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कम-से-कम 30 देशों में परचालन करता है।
- यह भारत में प्रतर्बिंधित होने वाला 45वाँ संगठन बन गया, जसिमें जैश-ए-मोहम्मद और लस्कर-ए-तैयबा भी शामिल हैं।

और पढ़ें: UAPA न्यायाधिकरण ने PFI पर प्रतर्बिंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा